



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 594]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2001/अग्रहायण 6, 1923

No. 594]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2001/AGRAHAYANA 6, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 866(अ).—केन्द्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा, दमन और दीव पर्यटन व्यापार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1982 (1982 का 10) को जैसा वह इस अधिसूचना की तारीख को गोवा राज्य में इस समय प्रवृत्त है, दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन रहते हुए विस्तारित करती है, अर्थात् :-

उपान्तरण

1. सम्पूर्ण अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा निदेशित न हो,—

- (क) "सरकार" शब्द के स्थान पर (धारा 11 के परन्तुक और धारा 40 में के सिवाय) प्रशासक शब्द रखा जाएगा;
- (ख) "गोवा, दमन और दीव" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, अधिनियमन सूत्र और धारा 1 की उपधारा (1) में के सिवाय, "दादरा और नागर हवेली" शब्द रखे जाएंगे।

2. धारा 2 में,—

खण्ड (क) को उसके खण्ड (कक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;"।

[फा. सं. यू-11015/2/2000-यू.टी.एल.]

पी.के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपाबंध

गोवा, दमन और दीव पर्यटन व्यापार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 10)

पर्यटकों के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उमसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के तैतीसवें वर्ष में गोवा, दमन और दीव की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा, दमन और दीव पर्यटन व्यापार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1982 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर होगा।
- (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं :-

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

- (क) "नौका" के अन्तर्गत नौका-गृह, मोटर नौका, मोटर लांच, पैदल नौका, जहाजी नौका और डोंगी भी हैं;
- (ख) "प्रमाण पत्र" से इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।
- (ग) "व्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अधिसूचित वस्तु के शोक अथवा फुटकर विक्रय का कारवार में पर्यटन क्षेत्र में कर रहा है और जिसका उक्त अधिसूचित

- वस्तु का स्टॉक/आवर्त उसके कुल स्टॉक/आवर्त के पचास प्रतिशत से अधिक है और इसके अन्तर्गत उसकी ओर से कारबार का संव्यवहार करने वाला उसका अभिकर्ता या कर्मचारी भी है;
- (घ) "सरकार" से गोवा, दमन और दीव की सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) "होटल" के अन्तर्गत कोई परिसर या परिसर का भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत नौका गृह, रैस्तारा, बार या तम्बू भी हैं जहां भोजन के साथ या उसके बिना आवास या किसी किस्म की खाद्य वस्तु या पेय धनीय प्रतिफल के लिए उपलब्ध कराया जाता है;
- (च) "होटल-कीपर" के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वत्वधारी के रूप में कोई होटल चलाता है या उसका स्वामी है और उसके अन्तर्गत स्वत्वधारी के लिए और उसकी ओर से होटल के क्रियाकलापों का प्रबन्धन या संचालन करने वाला व्यक्ति है;
- (छ) "अनाचार" के अन्तर्गत खरीदारी के लिए स्वतन्त्र विकल्प अनुज्ञात करने या यात्रा व्यवस्था करने में छल करना, दलाली करना, प्रतिरूपण करना, बाधा या रोक डालना, लेबल पर प्रदर्शित कीमत से उच्चतर कीमत प्रभारित करना या इस अधिनियम के अधीन नियत पारिश्रमिक से उच्चतर पारिश्रमिक लेना, वस्तुओं पर कीमत लेबल उपदर्शित करने में असफल रहना, कैश मीमो देने में असफल रहना और अनुबन्धित समय के भीतर तथा करार किए गए निबन्धनों के अनुसार किसी आदेश का निष्पादन करने में असफल रहना है।

स्पष्टीकरण 1—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, लेबल पर अंकित कीमत (वस्तु पर लेबल पर प्रदर्शित कीमत) वह उचित कीमत होगी जो विहित प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए।

स्पष्टीकरण 2—"दलाली" अधिव्यक्ति से खरीदारी, आवास, परिवहन, दृश्य-दर्शन या किसी विशिष्ट परिसर, व्यक्ति, स्थापन, विनिर्माता के लिए मजबूर करना या पर्यटन से संबंधित कोई अन्य सेवा निजी फायदे के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रपीड़न अभिप्रेत है;

- (ज) "अधिसूचित वस्तु" से सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित कोई वस्तु अभिप्रेत है;
- (झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ञ) "विहित प्राधिकारी" से सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है परन्तु विभिन्न प्राधिकारियों को इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए अधिसूचित किया जा सकेगा;
- (ट) "पर्यटन क्षेत्र" से सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पर्यटन क्षेत्र के रूप में राजपत्र में अधिसूचित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

- (ठ) "पर्यटक" से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके अन्तर्गत तीर्थयात्री भी हैं, अभिप्रेत है जो भारत के किसी भाग से या भारत से बाहर से गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में परिदर्शन के लिए आता है;
- (ड) "यात्रा अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो यात्रा कराने, शिविर लगाने, पर्यटन संचालन करने या मनीय प्रतिफल के लिए पर्यटकों के लिए अन्य यात्रा व्यवस्था करने के कारबार में लगा हुआ है और इसके अन्तर्गत पर्यटन गाइड, यात्रा अभिकर्ता, तम्बू और शिविर लगाने वाला अभिकर्ता या पर्यटन आपरेटर भी है;
- (ढ) "यात्रा-व्यवस्थाओं" के अन्तर्गत—
- (क) परिवहन, दृश्य-दर्शन की व्यवस्थाएं;
- (ख) भोजन सहित या भोजन बिना आवास की व्यवस्थाएं; और
- (ग) ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना भी है जैसे क्रीड़ा, खेलकूद, या यात्रियों के निजी सामान को प्राप्त करने या भेजने में सहायता करना।

अध्याय 2

व्यौहारियों का रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्रीकरण— (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन व्यौहारी का कारबार करना चाहता है, ऐसे कारबार को आरम्भ करने से पूर्व विहित प्राधिकारी को विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :
- परन्तु इस उपधारा की कोई बात उत्सवों के दौरान आयोजित मेलों और अस्थायी बाजारों में अधिसूचित वस्तुओं के विक्रय को लागू नहीं होगी।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन ऐसी वस्तु के अधिसूचित किए जाने की तारीख को पर्यटन क्षेत्र में किसी अधिसूचित वस्तु के विक्रय का कारबार पहले से ही कर रहा है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्वोक्त तारीख से तीन मास के भीतर आवेदन करेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा और ऐसा न करने की दशा में आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया समझा जाएगा।
4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र— विहित प्राधिकारी, जब तक धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इन्कार नहीं किया जाता, यह निदेश देगा कि व्यौहारी का नाम और विशिष्टियां इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएं और व्यौहारी को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर विहित प्ररूप में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

5. रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार—(1) विहित प्राधिकारी, किसी व्यौहारी को इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर करने से निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर इंकार कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) यदि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 14 और अध्याय 16 के अधीन या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसी किसी विधि के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए जो खाद्य और औषधियों की जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी अथवा अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबन्ध करती है, सिद्ध दोष ठहराया गया है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश की समाप्ति से दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं;

(ख) यदि उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है;

(ग) यदि उसके नाम को धारा 6 के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है और उसके नाम को हटाने की तारीख से तीन मास नहीं बीते हैं ;

(घ) यदि विहित प्राधिकारी की राय में रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिए लेखबद्ध किए जाने योग्य पर्याप्त आधार हैं।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई भी आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को मुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

6. रजिस्टर से नाम हटाना—(1) विहित प्राधिकारी, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर रजिस्टर से व्यौहारी का नाम हटा सकेगा और उसके प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) यदि वह व्यौहारी नहीं रहता है ;

(ख) यदि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 14 और अध्याय 16 के अधीन या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसी किसी विधि के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए जो खाद्य और औषधियों की जमाखोरी, तस्करी या मुनाफाखोरी अथवा अपमिश्रण के निवारण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबन्ध करती है, सिद्ध दोष ठहराया गया है ;

(ग) यदि उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है ;

(घ) यदि उसके विरुद्ध अनाचार का कोई परिवाद प्राप्त होता है और साबित हो जाता है।

(2) ऐसा कोई भी व्यौहारी जिसका नाम उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया जाता है, तत्काल व्यौहारी नहीं रहेगा।

अध्याय 3

होटलों का रजिस्ट्रीकरण

7. रजिस्ट्रीकरण—(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो पर्यटक क्षेत्र में होटल चलाना चाहता है, उसे चलाने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित प्राधिकारी को विहित रीति से आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 2 के खण्ड (ट) के अधीन अधिसूचना की तारीख को पर्यटक क्षेत्र में पहले से ही होटल चला रहा है, पूर्वोक्त तारीख से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा और ऐसा करने में असफल रहने की दशा में आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार कर लिया गया समझा जाएगा।

8. रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र—विहित प्राधिकारी, जब तक कि धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इंकार नहीं किया जाता है, यह निर्देश देगा कि उक्त होटल और होटल कीपर का नाम और विशिष्टियां उस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएं और विहित रीति में होटल कीपर को प्रमाणपत्र जारी करेगा।

9. होटल रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार—(1) विहित प्राधिकारी, किसी होटल को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने से निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर इंकार कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) यदि होटल कीपर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 14 और अध्याय 16 के अधीन या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसी किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए जो खाद्य या औषधियों की जमाखोरी या तस्करी अथवा मुनाफाखोरी या अपमिश्रण अथवा भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबन्ध करती है, सिद्धदोष ठहराया गया है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश की समाप्ति से दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं ;

(ख) यदि होटल कीपर को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है ;

(ग) यदि होटल कीपर के नाम को धारा 10 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है और उसके नाम को हटाने की तारीख से तीन मास नहीं बीते हैं ;

- (घ) यदि होटल कीपर के पास तत्समय प्रवृद्ध किसी के अधीन उसके द्वारा धारित किए जाने के लिए अपेक्षित अनुज्ञापित या प्रमाणपत्र नहीं है ;
- (ड०) यदि विहित प्राधिकारी की राय में रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिए लेखबद्ध किए जाने योग्य कोई पर्याप्त आधार है।
- (2) रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई भी आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।
10. रजिस्टर से नाम हटाया जाना— (1) विहित प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी के आधार पर होटल के नाम को रजिस्टर से हटा सकेगा और उसके प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :—
- (क) यदि होटल कीपर ऐसे पर्यटक क्षेत्र में होटल चलाना बंद कर देता है जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है ;
- (ख) यदि होटल कीपर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 14 और 16 के अधीन या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए जो खाद्य या औषधियों की जमखोरी या तस्करी अथवा मुनाफाखोरी या अपमिश्रण अथवा भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबन्ध करता है, सिद्धोप उहराया गया है ;
- (ग) यदि होटल कीपर को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है ;
- (घ) यदि अनाचार का कोई परिवाद होटल कीपर के विरुद्ध प्राप्त होता है और साबित हो जाता है।
- (2) ऐसा कोई होटल, जिसका नाम उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया जाता है, तत्काल बन्द हो जाएगा।
11. होटलों का वर्गीकरण और दरों का नियतन—विहित प्राधिकारी, ऐसी प्रक्रिया का, जो विहित की जाए, अनुसरण करने के पश्चात् और होटल कीपर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, होटलों को वर्गीकृत कर सकेगा और प्रत्येक होटल को एक श्रेणी प्रदान करेगा तथा युक्तियुक्त अधिकतम दर और सेवा प्रभार नियत कर सकेगा, यदि कोई हो जो होटल के स्तर और खाना, वास और सेवा की क्वालिटी के अनुरूप होंगे जिन्हें होटल कीपर भोजन या आवास अथवा दोनों के लिए उसमें रुकने वाले व्यक्ति से या अन्य ग्राहकों से प्रभारित कर सकेगा :
- परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसे होटलों को लागू नहीं होगी जिन्हें भारत सरकार या किसी बोर्ड अथवा
- भारत सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा संसद् के किसी अधिनियम के अधीन वर्गीकृत किया गया है या श्रेणीबद्ध किया गया है।
12. होटल कीपर को सूचना प्रदर्शित करनी होगी—प्रत्येक होटल कीपर, होटल के किसी सहजदृश्य स्थान पर ऐसी सूचना जो विहित की जाए, प्रदर्शित कराएगा।
13. होटल कीपर विस्तृत बिल प्रस्तुत करेगा—प्रत्येक होटल कीपर होटल में निवास करने वाले व्यक्तियों और अन्य ग्राहकों को विस्तृत बिल देगा और सभी संदायों की अभिस्वीकृति में रसीदें देगा।
- अध्याय 4
यात्रा अभिकर्ता
14. रजिस्ट्रीकरण— (1) कोई भी व्यक्ति यात्रा अभिकर्ता का कारबार तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार रजिस्टर नहीं किया जाता।
- (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो यात्रा अभिकर्ता के रूप में कार्य करना चाहता है, इस रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विहित प्राधिकारी को विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो यात्रा अभिकर्ता के रूप में कारबार में पहले से ही लगा है, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- (4) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा और ऐसा करने में असफल रहने की दशा में आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार कर लिया गया समझा जाएगा।
15. प्रमाणपत्र—विहित प्राधिकारी, जब तक कि धारा 16 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इंकार नहीं कर दिया जाता, यह निदेश देगा कि यात्रा अभिकर्ता का नाम और विशिष्टियां इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएं और विहित प्ररूप में यात्रा अभिकर्ता को प्रमाणपत्र जारी करेगा।
16. रजिस्टर करने से इंकार—(1) विहित प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन यात्रा अभिकर्ता को रजिस्टर करने से निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर इंकार कर सकेगा, अर्थात् :—
- (क) यदि उसके पास विहित अर्हताएं नहीं हैं ;
- (ख) यदि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 14 और अध्याय 16 के अधीन या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसी किसी विधि के अधीन

दण्डनीय किसी अपराध कि लिए जो खाद्य या औषधियों की जमाखोरी या तस्करी अथवा मुनाफ़ाखोरी या अपमिश्रण अथवा भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबन्ध करती है, सिद्धदोष ठहराया गया है और उस पर अधिरोपित दण्डादेश की समाप्ति से दो वर्ष व्यतीत नहीं हुए हैं;

(ग) यदि उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है;

(घ) यदि उसके नाम को धारा 17 के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है और उसके नाम को हटाने की तारीख से तीन मास नहीं बीते हैं;

(ङ) यदि विहित प्राधिकारी की राय में रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने के लिए लेखबद्ध किए जाने योग्य कोई पर्याप्त आधार है।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई भी आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

17. रजिस्टर से नाम का हटाया जाना—(1) विहित प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित आधारों में से किसी के आधार पर यात्रा अभिकर्ता के नाम को रजिस्टर से हटा सकेगा और उसके प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) यदि वह यात्रा अभिकर्ता के रूप में कार्य करना बंद कर देता है;

1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45

(ख) यदि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 14 और अध्याय 16 के अधीन या इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसी किसी विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए जो खाद्य या औषधियों की जमाखोरी या तस्करी अथवा मुनाफ़ाखोरी या अपमिश्रण अथवा भ्रष्टाचार के निवारण के लिए उपबन्ध करती है, सिद्धदोष ठहराया गया है;

(ग) यदि उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है;

(घ) यदि उसके विरुद्ध अनाचार का कोई परिवाद प्राप्त होता है और साबित हो जाता है;

(2) ऐसा कोई यात्रा अभिकर्ता, जिसका नाम उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया जाता है, तत्काल यात्रा अभिकर्ता के रूप में नहीं रहेगा।

18. दरों का नियतन— विहित प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी युक्तियुक्त अधिकतम दरें नियत कर सकेगा जिन्हें यात्रा अभिकर्ता उसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को जिसने उसे इस रूप में नियुक्त किया है, दी गई सेवा के लिए प्रभारित कर सकेगा।

19. यात्रा अभिकर्ता टिप आदि की मांग नहीं करेगा—कोई भी यात्रा अभिकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसे नियुक्त करता है, अथवा ऐसे व्यवहारी से जो किसी व्यक्ति को अधिसूचित वस्तु बेच रहा है या किसी ऐसे होटल की पर से जिसके होटल में ऐसा व्यक्ति निवास करता है या निवास करने का आशय रखता है, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय से भिन्न कोई टिप, उपदान, उपहार या कमीशन नहीं मांगेगा।

अध्याय 5

अपील और पुनरीक्षण

20. अपील—(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश से अपील ऐसे अपील प्राधिकारी को होगी जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।

(2) प्रत्येक ऐसी अपील आदेश की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर की जाएगी :

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि यह समाधान कर दिया जाता है कि अपीलार्थी को समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था।

(3) अपीलार्थी को किसी काउंसिल या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार होगा और विहित प्राधिकारी का ऐसे अधिकारी या व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा जिसे विहित प्राधिकारी नियुक्त करे।

(4) ऐसी किसी अपील की प्राप्ति पर, अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, ऐसा आदेश, उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, पारित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे।

21. पुनरीक्षण :—सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाला पुनरीक्षण प्राधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर अपील प्राधिकारी द्वारा निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख को अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन हेतु मंगा सकेगा और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और ऐसा आदेश अन्तिम होगा :

परन्तु ऐसा कोई अभिलेख आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं मंगाया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी काउंसिल के माध्यम से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया है।

अध्याय 6

अपराध और शास्ति

22. रजिस्ट्रीकरण में चूक के लिए शास्ति :—(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन उचित रजिस्ट्रीकरण के बिना या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी के अतिक्रमण में व्यौहारी, होटल कीपर या यात्रा अधिकर्ता का कारबार कर रहा है, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण :—ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें विहित अवधि के भीतर आवेदन किया है और जिसका निपटान लम्बित है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यतिक्रमी नहीं होगा।

23. मिथ्या कथन के लिए शास्ति :—यदि किसी व्यक्ति से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई कथन करने की अपेक्षा की जाती है और वह विहित प्राधिकारी को गुमराह करने के आशय से मिथ्या कथन करेगा या तात्त्विक तथ्य को छिपाएगा तो वह विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

24. प्रमाणपत्र किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित नहीं किया जाएगा :—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जारी प्रमाणपत्र को उधार देगा अन्तरित करेगा या समनुदेशित करेगा, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

25. प्रमाणपत्र और दस्तावेजों का मांग किए जाने पर व्यक्तियों को दिखाया जाना :—(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति मांग किए जाने पर हर समय, अपने प्रमाणपत्र या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित किसी अन्य दस्तावेज को विहित प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और दर्शित करेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो मांग किए जाने पर अपने प्रमाणपत्र या दस्तावेज को दर्शित करने से इंकार करेगा या उसकी मांग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों में से किसी को पढ़ने देने से इंकार करेगा, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपए से अधिक नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

26. अनाचार के लिए शास्ति :—यदि कोई व्यौहारी, होटल कीपर, यात्रा अधिकर्ता या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे यह अधिनियम लागू किया जा सके किसी पर्यटक क्षेत्र में कोई अनाचार करेगा या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी ऐसे अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करेगा जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबन्धित नहीं है तो वह विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

27. विधिपूर्ण प्राधिकारियों के समक्ष बाधा डालना :—यदि कोई व्यक्ति विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन

प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते समय या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करते समय कृत्यों के निर्वहन में जानबूझ कर बाधा डालेगा या कोई प्रतिरोध करेगा तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा या दोनों से दण्डित किए जाने का दायी होगा।

28. पश्चात्पूर्ती भंगों के लिए शास्ति :—(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी का भंग कारित किया है, और जिसके लिए वह इस अध्याय के उपबन्धों में से किसी के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा जुर्माने से एक बार दण्डित किया जा चुका है, किसी पश्चात्पूर्ती भंग के लिए ऐसे कारबार से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अभियोजन विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर ही संस्थित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

1974 का अधिनियम सं. 42

(3) इस अध्याय के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना ऐसे बमूल किया जाएगा मानो वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन बमूलनीय जुर्माना हो।

1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5

29. साक्षियों और अन्य व्यक्तियों को समन करने और उन्हें हाजिर कराने की विहित प्राधिकारी की शक्ति :—विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी आवेदन की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) परिवादी या ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन परिवाद किया गया है और उसके संबंध में अपेक्षित साक्षियों को समन करना और उन्हें हाजिर कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए विवश करना ; और

(ग) शपथ पर साक्षियों की परीक्षा करना और ऐसे किसी व्यक्ति को स्वप्नेरणा पर समन करना और उसकी परीक्षा करना जिसका साक्ष्य तात्त्विक प्रतीत होता हो।

30. अपराधों का शमन :—(1) विहित प्राधिकारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, अधिनियम की धारा 27 के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति से ऐसी धनराशि ऐसे अपराध के लिए शमन के रूप में जो विहित की जाए, स्वीकार कर सकेगा और इस प्रकार प्राप्त रकम में से उस सीमा तक जिसे वे प्राधिकारी युक्तियुक्त समझे, उस व्यक्ति को प्रतिकर दे सकेगा जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है।

(2) अपराध के शमन पर उसकी बाबत कोई और कार्यवाही नहीं होगी।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

31. परिवर्तनों की अधिसूचना :—(1) जब भी ऐसा कोई कारखाना जिसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र धारित है, किसी अन्य व्यक्ति को विरासत के रूप में या अन्यथा न्यागत होता है या इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किसी विशिष्ट की बाबत कोई परिवर्तन किया जाता है तब ऐसा व्यक्ति ऐसे न्यागमन या परिवर्तन की तारीख से साठ दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को उस तथ्य को लिखित में अधिसूचित करेगा।
- (2) विहित प्राधिकारी, इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में और प्रमाणपत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा।
- (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी, मुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रजिस्टर से उस व्यक्ति के नाम को हटा सकेगा। जिसके पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया गया था और यदि उत्तराधिकारी इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किए जाने के लिए अर्हित नहीं है तो प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा।
32. प्रमाणपत्र का लौटाया जाना :—जब इस अधिनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र रद्द किया जाता है तब ऐसे प्रमाणपत्र को धारित करने वाला व्यक्ति रद्दकरण की तारीख को संसूचना की तारीख से सात दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को उसे वापस कर देगा।
33. अनुलिपि प्रमाणपत्र :—यदि इस अधिनियम के अधीन जारी प्रमाणपत्र खो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो विहित प्राधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र को धारित करने वाले व्यक्ति द्वारा उस निमित्त किए गए आवेदन पर और विहित फीस के संदाय पर अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करेगा।
34. प्रमाणपत्र को प्रदर्शित किया जाएगा :—प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति द्वारा उस प्रमाणपत्र को अपने कारखाने के मुख्य स्थान पर किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि उसका कारखाना का कोई स्थान नहीं है तो वह उसे अपने साथ रखेगा।
35. रजिस्टर से जिस व्यक्ति के नाम को हटाया जाएगा उसका प्रकाशन :—विहित प्राधिकारी, ऐसे व्यक्तियों के और ऐसी होटलों के नाम और पत्तों को राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में जिसे वह ठीक समझे, प्रकाशित करेगा जिनके नाम रजिस्टर से हटा दिए गए हैं या जिनके प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं या जिनको इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर करने से इंकार कर दिया गया है।
36. निरीक्षण की शक्ति :—विहित प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति पर्यटक क्षेत्र के भीतर सभी युक्तियुक्त समयों पर उन परिसरों का निरीक्षण कर सकेगा जिसमें कोई ब्यौहारी या यात्रा अधिकर्ता अपना कारखाना करता है या ऐसे किसी परिसर का निरीक्षण कर सकेगा जिसमें होटल चलाया जाता है और ऐसे ब्यौहारी, यात्रा अधिकर्ता या होटल कीपर से निरीक्षण के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गए किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
37. अन्य सेवाओं के लिए दरों का नियतन—विहित प्राधिकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अधिकतम दरें नियत कर सकेगा जो किसी पर्यटक क्षेत्र में ऐसी अन्य पर्यटक सेवाओं के लिए जो विहित की जाएं, प्रभारित की जा सकेंगी।
38. इस अधिनियम को अन्य व्यक्तियों को लागू करने की सरकार की शक्तियाँ—सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या कोई उपबन्ध ऐसे अपवादों, अंगीकरणों या उपान्तरणों के साथ जिन्हें आवश्यक समझा जाए, किसी पर्यटक क्षेत्र में ऐसी पर्यटक सेवा प्रदान करने जो विहित की जा सके, का कारखाना करने वाले व्यक्तियों को लागू होगा।
39. अपराधों की बाबत और विहित प्राधिकारी की सहायता करने की पुलिस की शक्तियाँ और कर्तव्य—प्रत्येक पुलिस अधिकारी, विहित प्राधिकारी को उसकी जानकारी में आए ऐसे अपराध की सूचना तत्काल देगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के विरुद्ध किया गया है और विहित प्राधिकारी की उसके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करेगा।
40. संरक्षण—सरकार या उक्त सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध ऐसी किसी बात की बाबत जो मद्भाव में की गई है या इस अधिनियम के अधीन की जाने के लिए आशयित है, कोई बाध, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, जो भी हो, संस्थित नहीं की जाएगी।
41. स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियों का आरक्षण—इस अधिनियम की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में विहित किसी शक्ति को नहीं छीनेगी या उसे कम नहीं करेगी।
42. नियम बनाने की शक्ति—(1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—
- (क) होटल कीपर, ब्यौहारी या यात्रा अधिकर्ता द्वारा कारखाना करने के लिए रजिस्ट्रों, बहियों और प्ररूपों का रखा जाना.
- (ख) रजिस्ट्रीकरण और प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का प्ररूप;
- (ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस;
- (घ) इस अधिनियम के अधीन सूचनाएं देने की रीति;
- (ङ) होटलों और यात्रा अधिकर्ताओं का वर्गीकरण;
- (च) यात्रा अधिकर्ताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता;

- (छ) व्यक्तियों और होटलों के रजिस्टर से हटाए गए नामों और पत्तों के या उन व्यक्तियों के नामों और पत्तों के प्रकाशन की रीति जिनके रजिस्ट्रीकरण से इंकार कर दिया गया है;
- (ज) वह स्थान जहां विहित प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन जांच करेगा; और
- (झ) कोई ऐसा अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम पूर्ण प्रकाशन की शर्तों के अधीन होगा।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2001

G.S.R. 866(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Goa, Daman and Diu Registration of Tourist Trade Act, 1982 (10 of 1982), as in force in the State of Goa at the date of this Notification, subject to the following modifications, namely —

Modifications

1 Throughout the Act, unless otherwise directed,—

- (a) for the word "Government" (except in the proviso to section 11 and section 40), the word "Administrator" shall be substituted;
- (b) for the words "Goa, Daman and Diu" wherever they occur [except in the enacting formula and in sub-section (1) of section 1], the words "Dadra and Nagar Haveli" shall be substituted

2. In section 2. —

clause (a) shall be re-numbered as clause (aa) thereof and before the clause (aa) as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(a) "Administrator" means the Administrator of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution"

[F.No U-11015/2/2000-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE

GOVERNMENT OF GOA, DAMAN AND DIU

Law Department (Legal Advice)

NOTIFICATION

LD/5/17/82 (D)

The following Act which was passed by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu on the 28th day of July, 1982 and assented to by the Administrator on the 14th November, 1982 is hereby published for the general information of the public.

B. S. Subbanna, Under Secretary (Drafting).

Panaji, 23rd November, 1982.

The Goa, Daman and Diu Registration of Tourist Trade Act, 1982

(Act No. 10 of 1982)

AN

ACT

to provide for the registration of persons dealing with tourists and for matters connected therewith.

Enacted by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.—(1)

This Act may be called the Goa, Daman and Diu Registration of Tourist Trade Act, 1982.

(2) It shall extend to the whole of the Union territory of Goa, Daman and Diu.

(3) It shall come into force *on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette appoint.

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) 'boat' includes a house-boat, motor-boat, motor launch, pedal boat, sailing boat and canoe;

(b) 'certificate' means a certificate of registration issued under any of the provisions of this Act;

"(c) 'dealer' means a person carrying on in a tourist area the business of selling any notified articles, whether wholesale or retail, and whose stocks/turnover of the said notified articles exceeds 50% of their total stocks/turnover, and includes his agent or employee transacting business on his behalf."

(d) 'Government' means the Government of Goa, Daman and Diu;

*See Notification on page 22.

Clause (c) substituted by (Amendment) Act, 1988 (Act 10 of 1988) (O.G. Series 1 No. 8 dated 27-5-1988). The original clause reads as follows.

"(c) 'dealer' means a person carrying on in a tourist area the business of selling any notified article, whether whole-sale or retail, and includes his agent or employee transacting business on his behalf".

(e) 'hotel' includes any premises or part of premises including a house-boat, restaurant, bar or a tent where lodging with or without board or any kind of eatables or beverages is provided for a monetary consideration;

(f) 'hotel-keeper' includes any person who owns or operates a hotel as proprietor and includes a person managing or operating the affairs of a hotel for and on behalf of the proprietor;

(g) 'malpractice' includes cheating, touting, impersonation, obstruction in allowing free choice for shopping or stay or travel management, charging a price higher than that displayed on the label or remuneration higher than that fixed under this Act, failure to display price label on the articles, failure to give cash memos and wilful failure to execute an order within the stipulated time and according to the terms agreed.

Explanation 1.— For the purposes of this clause, labelled price (the price displayed on the label on the article) shall be the reasonable price as may be fixed by the prescribed authority.

Explanation 2. The expression 'touting' means coercing for shopping, accommodation, transportation, sight seeing or pestering for any particular premises, person, establishment, manufacturer or any other service connected with tourism with consideration of personal benefit;

* (h) 'notified article' means any article notified by the Government in the Official Gazette for the purposes of this Act;

(i) 'prescribed' means prescribed by rules made under this Act;

* (j) 'prescribed authority' means the authority notified as such by the Government, provided that different authorities may be notified for different provisions of this Act;

* (k) 'tourist area' means any area notified by the Government in the Official Gazette to be a tourist area for the purposes of this Act;

(l) 'tourist' means a person or group of persons, including pilgrims, visiting the Union territory of Goa, Daman and Diu from any part of India or outside India;

(m) 'travel agent' means a person engaged in the business of making travel, camping, tour operating or other travel arrangements for tourists for a monetary consideration and includes a tourist guide, excursion agent, tent and camping agent or tour operator;

(n) 'travel arrangements' include—

(a) arrangements for transportation, sight seeing;

(b) arrangements for lodging with or without food;

and

(c) rendering other services, such as assistance for game, sports or receipt or despatch of personal belongings of a tourist.

* See Notifications dated 8-7-1985 on pages 52 and 53.

3655/45/2001-2

CHAPTER II

Registration of Dealers

3. Registration.— (1) Every person intending to carry on business of a dealer under this Act shall, before he commences such business, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the sale of notified articles in fairs and temporary markets organised during festivals.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any person already carrying on business of selling any notified article in a tourist area on the date such article is notified under clause (h) of section 2 shall apply for registration under this Act within three months from the aforesaid date.

(3) Every application made under sub-section (1) shall be disposed of within a period of three months from the date of receipt of the application failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.

4. Certificate of Registration.— The prescribed authority shall, unless registration is refused under section 5, direct that the name and the particulars of the dealer be entered in the register maintained for the purpose and shall issue a certificate to the dealer in the prescribed form within a period of three months from the date of the receipt of the application.

5. Refusal to register.— (1) The prescribed authority may refuse to register a dealer under this Act on any of the following grounds, namely:—

(a) if he is convicted of any offence under Chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act, 45 of 1860) under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food and drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him;

(b) if he has been declared insolvent by a Court of competent jurisdiction and has not been discharged;

(c) if his name has been removed from the register under clause (c) of section 6 and three months have not elapsed since the date of removal;

(d) if in the opinion of the prescribed authority there is sufficient ground to be recorded in writing, for refusing registration.

(2) No application for registration shall be refused unless the person applying for registration has been afforded a reasonable opportunity of being heard.

6. Removal of the name from the Register.—

(1) The prescribed authority may after affording a reasonable opportunity of being heard, by an order in writing, remove the name of a dealer from the register and cancel his certificate on any of the following grounds, namely:—

(a) if he ceases to be a dealer;

(b) if he is convicted of any offence under Chapter XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860) or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption;

(c) if he is declared an insolvent by a Court of competent jurisdiction and has not been discharged;

(d) if any complaint of malpractice is received and proved against him.

(2) Any dealer whose name is removed from the register under sub-section (1) shall forthwith cease to be a dealer.

CHAPTER III**Registration of Hotels**

7. Registration.—(1) Every person intending to operate a hotel in a tourist area shall, before operating it, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), any person already operating a hotel in a tourist area on the date of notification under clause (k) of section 2, shall apply for registration within three months from the aforesaid date.

(3) Every application made under sub-section (1) shall be disposed of within a period of three months from the date of receipt of the application failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.

8. Certificate of registration.—The prescribed authority shall, unless registration is refused under section 9, direct that the name and the particulars of the hotel and the hotel-keeper be entered in the register maintained for the purpose and shall issue a certificate to the hotel-keeper in the prescribed form.

9. Refusal to register a hotel.—(1) The prescribed authority may refuse to register a hotel under this Act on any of the following grounds, namely:—

(a) if the hotel-keeper is convicted of any offence under Chapters XIV and XVI of the Central Act Indian

Penal Code, 1860 (Central act 45 of 1860) or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him;

(b) if the hotel-keeper has been declared an insolvent by a Court of competent jurisdiction and has not been discharged;

(c) if the name of the hotel-keeper has been removed from the register under clause (c) or clause (d) of section 10 and three months have not elapsed since the date of removal;

(d) if the hotel-keeper does not hold a licence or certificate required to be held by him under any law for the time being in force;

(e) if in the opinion of the prescribed authority there is sufficient ground, to be recorded in writing, for refusing registration.

(2) No application for registration shall be refused unless the person applying for registration has been afforded a reasonable opportunity of being heard.

10. Removal of the name from the register.—

(1) The prescribed authority may, after giving an opportunity of being heard by an order in writing, remove the name of a hotel from the register and cancel its certificate on any of the following grounds, namely:—

(a) if the hotel-keeper ceases to operate the hotel in the tourist area for which it is registered;

(b) if the hotel-keeper is convicted of any offence under Chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act, 45 of 1860) or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption;

(c) if the hotel-keeper is declared an insolvent by a Court of competent jurisdiction and has not been discharged;

(d) if any complaint of malpractice is received and proved against a hotel-keeper.

(2) Any hotel the name of which is removed from the register under sub-section (1) shall forthwith cease to operate.

11. Classification of hotels and fixation of rates.—

The prescribed authority may after following the procedure as may be prescribed and after giving an opportunity of being heard to the hotel-keeper, by notification in the Official Gazette, classify the hotels and award a grade to

each hotel and also fix the reasonable maximum rate and the service charges, if any, commensurate with the standard of the hotel and the quality of food, accommodation and service, which may be charged by the hotel-keeper for board or lodge or for both from the person staying therein or from other customers:

Provided that nothing in this section shall apply to the hotels which are classified or graded by the Government of India or any board or authority under the Government of India or by or under an Act of Parliament.

12. Hotel-keeper to display information.— Every hotel-keeper shall cause to be displayed at some conspicuous place of the hotel, such information as may be prescribed.

13. Hotel-keeper to present detailed bill.— Every hotel-keeper shall render detailed bills to the persons residing in the hotel and other customers and shall give receipts in acknowledgment of all payments.

CHAPTER IV

Travel Agents

14. Registration.— (1) No person shall carry on the business of a travel agent unless he is registered in accordance with the provisions of this Act.

(2) Every person intending to act as a travel agent shall, before he commences to act as such, apply for registration to the prescribed authority in the prescribed manner.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), any person already engaged in the business as a travel agent, shall apply for registration within three months from the date of commencement of this Act.

(4) Every application made under sub-section (2) shall be disposed off within a period of three months from the date of receipt of the application failing which the application shall be deemed to have been accepted for registration.

15. Certificate.— The prescribed authority shall, unless registration is refused under section 16, direct that the name and particulars of the travel agent be entered in the register maintained for the purpose and issue a certificate to the travel agent in the prescribed form.

16. Refusal to register.— (1) The prescribed authority may refuse to register a travel agent under this Act on any of the following grounds, namely:—

(a) if he does not possess any of the prescribed qualifications;

(b) if he has been convicted of any offence under Chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 or

(Central Act 45 of 1860) under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption and two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon him;

(c) if he has been declared an insolvent by a Court of competent jurisdiction and has not been discharged;

(d) if his name has been removed from the register under clause (c) or clause (d) of section 17 and three months have not elapsed from the date of removal;

(e) if in the opinion of the prescribed authority there is sufficient ground, to be recorded in writing, for refusing registration.

(2) No application for registration shall be refused unless the person applying for registration has been afforded a reasonable opportunity of being heard.

17. Removal of the name from the register.— (1) The prescribed authority may, after giving an opportunity of being heard, by an order in writing, remove the name of a travel agent, from the register and cancel his certificate on any of the following grounds namely:—

(a) if he ceases to act as a travel agent;

(b) if he is convicted of any offence under Chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860) or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under 45 of 1860 any law providing for the prevention of hoarding, smuggling or profiteering or adulteration of food or drugs or corruption;

(c) if he is declared an insolvent by a Court of competent jurisdiction and has not been discharged;

(d) if any complaint of malpractice is received and proved against him.

(2) Any travel agent whose name is removed from the register under sub-section (1) shall forthwith cease to be a travel agent.

18. Fixation of rates.— The prescribed authority may, by a notification in the Official Gazette, fix the reasonable maximum rates which may be charged by a travel agent for the service rendered by him to a person engaging him as such.

19. Travel agent not to demand tip, etc.— No travel agent shall demand any tip, gratuity, presents or commission other than that permissible under this Act from any persons engaging him or from any dealer selling notified article to any person or from any hotel-keeper in whose hotel such person resides or intends to reside.

CHAPTER V

Appeal and Revision

***20. Appeal.**— (1) Subject to the provisions of sub-section (2), an appeal shall lie from every order of the prescribed authority under this Act to the appellate authority to be appointed by the Government.

(2) Every such appeal shall be preferred within ninety days from the date of communication of the order:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

(3) The appellant shall have a right to be represented by a counsel or by a duly authorised agent and the prescribed authority may be represented by such officer or person as the prescribed authority may appoint.

(4) On receipt of any such appeal, the appellate authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard and after making such enquiry as it deems proper, pass such order as it may deem fit, after recording the reasons therefor.

21. Revision.— The Revisional Authority* to be appointed by the Government may, either on his own motion or on an application made by an aggrieved party, call for the record of any case disposed off by the appellate authority, for the purpose of satisfying itself as to the correctness, legality or propriety of any order passed by the appellate authority and pass such order thereon as it may deem fit and such order shall be final :

Provided that no such record shall be called for after the expiry of three months from the date of communication of the order :

Provided further that no order under this section shall be made to the prejudice of a person unless he has had a reasonable opportunity of being heard either personally or through a counsel or by a duly authorised agent.

CHAPTER VI

Offences and Penalties

22. Penalty for default in registration.— (1) Any person carrying on the business of a dealer, hotel-keeper or travel agent without proper registration under this Act or in violation of any of the provisions of this Act or the Rules made thereunder shall be punishable by the prescribed authority with fine which may extend to Rs. 2,000.

Explanation. - A person who has made an application within the prescribed period and which is pending disposal shall not be a defaulter for the purposes of this section.

23. Penalty for false statement.— If any person required to make a statement under this Act or the rules

made thereunder wilfully makes a false statement or suppresses a material fact with an intention to mislead the prescribed authority, he shall be punishable by the prescribed authority with fine which may extend to Rs. 2,000.

24. Certificate not to be assigned.— Any person who lends, transfers or assigns the certificate issued under this Act, shall be punishable by the prescribed authority with fine which may extend to Rs. 2,000.

25. Certificate and documents to be shown to persons on demand.— (1) Any person registered under this Act, shall, at all times on demand, produce and show his certificate or any other document required under this Act or the Rules made thereunder to the prescribed authority or any officer authorised by him in this behalf.

(2) Any person who refuses on demand to show his certificate or document, or allow it to be read by any of the persons authorised to demand it, shall be punishable by the prescribed authority with fine not exceeding Rs. 500.

26. Penalty for malpractice.— If any dealer, hotel-keeper, travel agent or any other person to whom this Act may be made applicable, commits a malpractice or contravenes any other provisions of this Act or the Rules made thereunder in a tourist area for which no specific penalty has been provided, he shall be punishable by the prescribed authority with fine which may extend to Rs. 1,000.

27. Obstructing lawful authorities.— If any person wilfully obstructs or offers any resistance to, or otherwise interferes in the discharge of the functions of the prescribed authority or any officer authorised by him exercising any power, or performing any duties conferred or imposed upon it or him by or in pursuance of this Act or the Rules made thereunder, he shall be liable to punishment with imprisonment which may extend to three months or with fine not exceeding Rs. 100 or with both.

28. Penalty for subsequent breaches.— (1) Any person committing a breach of any of the provisions of the Act or the Rules made thereunder for which he has been once punished with fine by the prescribed authority under any of the provisions of this Chapter, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to Rs. 5,000 or with both.

(2) No prosecution shall be instituted against any person for any offence under this Act except on a complaint made by the prescribed authority.

(3) Any fine imposed under this Chapter shall be recovered as if it were a fine recoverable under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 45 of 1960).

29. Power of the prescribed authority to summon and enforce attendance of witnesses and other persons.— The prescribed authority shall have all the powers of a

* See Notification dated 16-10-1986 at page 51.

Civil Court, under the Civil Central Act 45 of 1860 Procedure Code, 1908 while hearing any application under this Act in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing attendance of the complainant or the person against whom complaint is made under this Act and witnesses required in connection therewith;

(b) compelling the production of any document, and

(c) examining witnesses on oath — and may summon and examine *suo moto* any person whose evidence appears to be material.

30. Composition of offences.— (1) Subject to such conditions as may be prescribed, the prescribed authority may accept from any person accused of an offence under this Act or the Rules made thereunder, other than an offence under section 27 of the Act, such sum of money, as may be prescribed, by way of composition for such offence and may, out of the money so received, compensate the person against whom the offence has been committed to the extent the prescribed authority deems reasonable.

(2) On the composition of the offence, no further proceeding in respect thereof shall lie.

CHAPTER VII

Miscellaneous

31. Notification of changes.— (1) Whenever a business, for which a certificate is held by a person, devolves, by inheritance or otherwise, upon any other person or undergoes a change in respect of any particulars entered in the register under this Act, such person shall, within sixty days of the date of such devolution or change, notify in writing, the fact to the prescribed authority.

(2) The prescribed authority shall make necessary changes in the register maintained for the purpose and in the certificate

(3) Notwithstanding anything contained in subsection (2), the prescribed authority may, after giving an opportunity of being heard, remove from the register, the name of the person in whose favour the certificate was issued and cancel the certificate if the successor is not qualified to be registered under this Act.

32. Return of certificate.— When a certificate is cancelled under this Act, the person holding such certificate shall within seven days from the date of communication of the order of cancellation return it to the prescribed authority

33. Duplicate certificate.— If a certificate issued under this Act is lost, damaged or destroyed, the prescribed authority shall, on an application made in that behalf by

the person holding such certificate and on payment of the prescribed fee, issue a duplicate certificate.

34. Certificate to be kept exhibited.— The Certificate shall be exhibited by the person holding it in a conspicuous place at the principal place of his business and if he has no place of business, he shall keep it on his person.

35. Publication of name of person removed from the register.— The prescribed authority shall publish in the Official Gazette and in such other manner it deems fit, the names and addresses of the persons and of the hotels whose names have been removed from the register or whose certificates have been cancelled or who have been refused registration under this Act.

36. Power to inspect.— The prescribed authority or any person authorised by him in this behalf may, within the tourist area, inspect at all reasonable times, the premises in which a dealer or a travel agent carries on his business or any premises where a hotel is operated and require such dealer, travel agent or a hotel-keeper to produce any document kept in pursuance of this Act or the rules made thereunder for inspection.

37. Fixation of rates for other services.— The prescribed authority may, by a notification in the Official Gazette, fix the reasonable maximum rates which may be charged in a tourist area, for such other tourist service, as may be prescribed.

38. Powers of Government to apply Act to other persons.— The Government may, by notification, in the Official Gazette, direct that all or any of the provisions of this Act or the rules made thereunder shall, with such exceptions, adaptations or modifications as may be considered necessary, apply to persons doing the business of providing such tourist service in a tourist area as may be prescribed.

39. Powers and duties of Police in respect of offences and assistance to prescribed authority.— Every Police Officer shall give immediate information to the prescribed authority of an offence coming to his knowledge which has been committed against this Act or any rule made thereunder and shall assist the prescribed authority in the exercise of his lawful authority.

40. Indemnity.— No suit, prosecution or other legal proceedings whatsoever shall lie against the Government or any officer or employee of the Government in respect of anything which is in good faith done or intended to be under this Act.

41. Reservation of powers of local authority.— Nothing in this Act shall take away or diminish any of the powers vested in any local authority by or under any law for the time being in force.

42. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for—

(a) the maintenance of registers, books and forms by a hotel-keeper, dealer or travel agent for conduct of business;

(b) the form of application for registration and for certificate;

(c) the fee for registration;

(d) the manner for giving notices under this Act;

(e) classification of hotels and travel agents;

(f) qualification for registration as travel agents;

(g) manner of publication of the names and address of the persons and of the hotels removed from the register or to whom registration has been refused

(h) the place where the prescribed authority shall hold enquiry under this Act, and

(i) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be subject to the conditions of previous publication.

Secretariat, Panaji-Goa, U. D. Sharma

Dated : 23rd November, 1982, Secretary to the Government of Goa, Daman and Diu, Law Department (Legal Advice)

(Published in the Official Gazette, Series I,
No. 36, dated 2-12-1982)